v/;{k dh dye ls

27 अप्रैल 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित नेशनल बोर्ड ऑफ एम0एस0एम0ई0 की बैठक में भाग लिया। लम्बे अन्तराल के बाद महसूस हुआ कि इस बार मीटिंग का एजेण्डा विस्तृत एवं एम0एस0एम0ई0 से जुड़े अहम मुद्दों पर केन्द्रित था। चाहे वह डिलेड पेमेन्ट का मुद्दा हो, पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट का मुद्दा हो और एम0एस0एम0ई0 के पुनर्वासन/पुनर्जीवन का मुद्दा हो और एम0एस0एम0ई0 पॉलिसी की बात हो इत्यादि सभी महत्वपूर्ण विषय थे। देखना यह है कि इन सभी मुद्दों पर हुई विस्तृत चर्चा से देश के एम0एस0एम0ई0 को कब राहत मिलेगी।

मीटिंग में एक और विषय पर भी चर्चा हुई और वह था एम0एस0एम0ई0 की रि–क्लासीफिकेशन/डेफिनेशन का जो एम0एस0एम0ई0 एमेन्डमेन्ट बिल–2015 के रूप में दिसम्बर 2015 में प्रकाशित किया गया था। इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन इस बिल में प्रस्तावित प्लान्ट एवं मशीनरी में नियोजन की सीमा को बढ़ाने का पहले ही विरोध कर चुका है और इस मीटिंग में भी मैने कहा कि इन्वेस्टमेन्ट लिमिट को बढ़ाने से एम0एस0एम0ई का कोई भी भला नही होने बाला है। इससे केवल बड़े उद्यमों को वर्तमान में एम0एस0एम0ई0 के लिए जो कुछ योजनॉए/सुविधाए उपलब्ध है उनको हड़पने का मौका अवश्य मिल जाएगा। इस बिल में एम0एस0एम0ई0 में अधिकतम लिमिट को 30 करोड़ रूपये करना प्रस्तावित है जो आज 10 करोड़ है। अतः आज जो उद्यम 10 करोड़ से 30 करोड़ रूपये तक पूॅजी निवेश, किये हुए है और एम0एस0एम0ई0 की परिभाषा में नही आते है वे इनसे छोटे उद्यमों के हिस्से की सुविधॉए एवं बजट को उपयोग करने के हकदार हो जाएगे।

मेरे ख्याल से जिन उद्यमों में 10 करोड़ से अधिक प्लान्ट एवं मशीनरी में पूॅजी निवेश है वे अपने में सक्षम है। आवश्यकता देश में इससे छोटे करोड़ो एम0एस0एम0ई0 की हालत सुधारने की है जो आजादी के बाद आज तक बद से बद्तर होती गई है।

वर्तमान में एक और महत्वपूर्ण बदलाव की ओर अग्रसर है और वह है जी0एस0टी0 का आगमन जिसके इंतजार में उद्योग जगत अनेक वर्षो से यह आशा लिये हुए था कि इसके आने से अप्रत्यक्ष करों की प्रक्रिया सरल एवं सुविधाजनक होगी। जैसे –जैसे जी0एस0टी0 के लागू होने की तारीख नजदीक आ रही है उद्यमी खासतौर पर सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमी भयभीत महसूस कर रहे है। अभी पहले ही पड़ाव में जब जी0एस0टी0 में माईग्रेट करने के लिए पंजीकरण करना है उन्हे अनेक कठिनाइयों का समाना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अभी 30 प्रतिशत से अधिक उद्यमी अपना माइग्रेशन नही कर पाये है और सरकार द्वारा माईग्रेशन की ऑन–लाईन विंडो 30 अप्रैल 2017 से बन्द कर दी है। अखबारों के माध्यम से यह भी ज्ञात हुआ है कि जो फर्मे माइग्रेट नही कर पाई है उनका टिन निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। यह स्थिति इसलिए भी है कि छोटे उद्यमियों के लिए ऑनलाईन माईग्रेशन करने में सर्वर अथवा इन्टरनेट की समस्या से जूझना पड़ रहा है। अभी तो यह शुरूआत है असली समस्यॉए तो जब महसूस होगी जब जी0एस0टी0 लागू होगा। प्रदेश एवं केन्द्र की सरकारों को छोटे उद्यमियों की समस्याओं को गम्भीरता से लेकर इनका समाधान करना होगा।

इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन इस चुनौती से एम0एस0एम0ई0 को पार करने एवं हर सम्भव सहायता देने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आई0आई0ए0 न्यूज का यह अंक जी0एस0टी0 को समर्पित है। इसके अतिरिक्त आई0आई0ए0 ने जी0एस0टी0 सम्बन्धी एम0एस0एम0ई0 की समस्याओं के समाधान के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है जिसका वर्णन आप आई0आई0ए0 न्यूज के इस अंक में पाऍगें।